उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/12/93-का-1-2011
लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई, 2011

दिनांक 29 जुलाई, 2011 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8–मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।

9–निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

10–नियुक्ति अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।

11–अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,
नन्दलाल प्रसाद,
अनु सचिव।

क्रम-संख्या–175 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011

श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/12/93 -का-1-2011
लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

सा०प०नि०–57

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली,1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली,1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 7 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खंड (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खंड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड
(1) ड्राइवर ग्रेड–4 सीधी भर्ती द्वारा।	(1) ड्राइवर ग्रेड–4 (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरों और

स्तम्भ–1 विद्यमान खंड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड
	समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो : परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी रिक्तियों को उपखंड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।

नियम 12 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
अधिमानी अर्हता	12–अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने– (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; (दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो; (तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।	अधिमानी अर्हता	12–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा, जिसने– (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; (दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो; (तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

नियम 13 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
चरित्र	13–सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा,	चरित्र	13–सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा,

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
टिप्पणी:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।	**टिप्पणी:**–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:– नियम 15 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
शारीरिक स्वस्थता	15–किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	शारीरिक स्वस्थता	15–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं होगा।

6–उक्त नियमावली में, नियम 17–क में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:– नियम 17–क का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान पार्श्व शीर्षक	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व शीर्षक
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया।	ड्राइवर ग्रेड–4 के पद से भिन्न पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया।

नये नियम का बढ़ाया जाना

7—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 17—क के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 17—ख, 17—ग बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"ड्राइवर ग्रेड—4 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17—ख (1) ड्राइवर ग्रेड—4 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 17 के उप नियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

(2) चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों से ड्राइविंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी।

(3) ड्राइविंग परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी ड्राइविंग परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों में से, समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

प्रतिबंध यह है कि जहां पोषक संवर्ग में दो या अधिक संवर्ग हो वहां—

(क) उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग के अभ्यर्थी पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे।

(ख) पोषक संवर्ग में समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों को उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के कम में पात्रता सूची में रखा जायेगा परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(4) चयन समिति उप नियम—3 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर सकती है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता कम में, जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है,एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17—ग— यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

नियम 18 का संशोधन

8—उक्त नियमावली में, नियम 18 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उप—नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम—17 या 17—क के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।	(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम—17, 17—क, 17—ख एवं 17—ग के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

नियम 19 का संशोधन

9–उक्त नियमावली में, नियम 19 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (3) और (4) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, अथवा उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

नियम 20 का प्रतिस्थापन

10–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
स्थायी–करण	20–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि	स्थायी–करण	20–(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि
	(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय ;		(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय ;
	(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और		(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
	(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।		(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
			(2) जहाँ समय–समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश के

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

आज्ञा से,

कुंवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/12/93-Ka-1–2011, dated July 29, 2011:

No. 13/12/93-Ka-1–2011

Dated Lucknow, July 29, 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2011

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 7

2. In the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993, hereinafter referred to as the said rules, in rule 7, *for* existing clause (1) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing clause*		COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*	
(1) Driver Grade-4	By direct recruitment.	(1) Driver Grade-4	(i) 80 per cent posts by direct recruitment. (ii) 20 per cent posts by promotion from amongst substantively appointed Cleaners and Group "D" employees who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
	must have passed class VIII examination from a recognised educational Institution: Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for promotion, such vacancies shall be filled through direct recruitment under sub-clause (i).

Substitution of rule 12

3. In the said rule, *for* existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*	
Preferential qualification	12. A candidate who has- (i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate education Uttar Pradesh ; (ii) knowledge of vehicle mechanism ; or (iii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; Shall, other things being equal be given preference in the matter of recruitment to the service.	Preferential qualification	12. A candidate who has- (i) passed High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh; (ii) knowledge of vehicle mechanism ; or (iii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; Shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Substitution of rule 13

4. In the said rules, *for* existing rule 13 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*	
Character	13. The character of a candidate for recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. NOTE–Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be	Character	13. The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. NOTE–Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	ineligible for recruitment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.	Government shall be ineligible for recruitment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Substitution of rule 15

5. In the said rules, *for* existing rule 15 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Physical fitness	15. No person shall be appointed to service by direct recruitment unless be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.	Physical fitness	15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the service, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III: Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Amendment of rule 17-A

6. In the said rules, in rule 17-A, *for* existing marginal heading set out in Column-1 below, the marginal heading as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing marginal heading*	COLUMN-2 *Marginal heading as hereby substituted*
"Procedure for recruitment by promotion"	"Procedure for recruitment by promotion for the posts other than the post of Driver Grade-4"

Insertion of new rules

7. In the said rules, *after* existing rule 17-A, the following new rules 17-B and 17-C shall be *inserted*, namely :-

"17-B. (1) Recruitment by promotion to the post of Driver Grade-4 shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted under sub-rule (1) of rule 17.

Procedure for recruitment by promotion to the post of Driver Grade-4

(2) The Selection Committee shall require the eligible candidates to appear in a driving test which shall be of qualifying nature.

(3) After the results of the driving test have been received, the appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates who have qualified in the driving test in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their Character Rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding cadres–

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing same pay scale, the name of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of their date of substantive appointment in their respective cadres. But if the date of substantive appointment of two or more candidates is the same, then in such situation the candidate who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.

(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (3), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority."

"17-C. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevent lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion."

Combined Select list

8. In the said rules, in rule 18, *for* existing sub-rule (1) set out in Column-1 below, the sub- rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 18

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 17 or 17-A, as the case may be.	(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 17, 17-A ,17-B or 17-C, as the case may be.

9. In the said rules, in rule 19, *for* existing sub-rules (3) and (4) set out in Column-1 below, the sub-rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 19

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rules	*Sub-rules as hereby substituted*
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation of extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction his services may be dispensed with.	(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

	COLUMN-1 *Existing sub-rules*	COLUMN-2 *Sub-rules as hereby substituted*
	(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Substitution of rule 20

10. In the said rules, *for* existing rule 20 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column -2 shall be *substituted*, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Confirmation	20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if–	Confirmation	20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-
	(i) his work and conduct are found to be satisfactory;		(i) his work and conduct is found to be satisfactory;
	(ii) his integrity is certified; and		(ii) his integrity is certified; and
	(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.		(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
			(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules,1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 294 राजपत्र (हि०)–2011–(687)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा० नियुक्ति–2011–(688)–4000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।